दस्तावेज में उल्लेखित खाता/प्लॉट
अंचल से प्राप्त सूची से बाहर है।

Nilam Kumari
10/7/17

जिसका खाता न0.34(चौतीस) सामील प्लॉट न0. 442(चार सौ ब्यालीस) के अन्दर खरीदा रकवा 06डि0(छः डिसमील) जमीन सम्पूर्ण आज आपके हाथ इस दस्तावेज के द्वारा केवाला बिक्री किया। जो इस दस्तावेज के साथ नत्थी किया गया नक्शा में लाल रंग से रंगाकर D मार्क चिन्हीत कर विशेष रूप से दर्शाया गया है। जिसका चौहद्दी –

उत्तर – राकेश कुमार	दक्षिण – रमेश कुमार
पूरब – 12फीट चौड़ा रास्ता	पश्चिम – कुँवर मांझी

वंशावली

बिक्रेता के निज नाम से केवाला खरीदा सम्पत्ति होता है

चूंकि बिक्रय पत्र केवाला दस्तावेज का विवरण यह है मेरे निजी आवश्यक धरेलु खर्च के कारण रूपये की विशेष जरूरत आ जाने पर तफशील प्रकाशित जमीन बेचने का प्रस्ताव करने पर आप ने उसे सर्वोच्च मूल्य 15,50,000/– (पन्द्रह लाख पचास हजार) रूपये में खरीदने के लिए इच्छुक हुए जो मैं आज आप से मूल्य का कुल रूपये चेक एवं नगद द्वारा प्राप्त कर तफशील वर्णित जमीन आज दिन आपके हाथ बेच कर सम्पूर्ण रूप से निःस्वत्व होकर वंचित हुआ एवं आज से आपको दखल में दिया।

आप आज तारिख से उक्त जमीन का सलाना मालगुजारी लगान उपरोक्त हिसाब से बराबर मालिक जमिनदार झारखण्ड सरकार को अदाय देकर मेरा नाम खारिज कर आप अपने नाम से लगान रसीद लेकर स्वेच्छा से कच्चा पक्का मकान आदी का निर्माण कर स्वयं बसवास पुर्वक दान बिक्री हस्तान्तर आदि हर तरह का मालिक बन कर वंश परम्परा पर परम सुख से भोग दखल करते रहे। इसमें मेरा तथा मेरे वारिसान उत्तराधिकारीगण को किसी प्रकार उज्र आपत्ति दावी दावा नहीं रहा।

उक्त विक्रीत सम्पत्ति पर मेरा जो भी दखल स्वत्व तथा कब्जा एवं अधिकार में था वो सम्पुर्ण रूप से निःस्वत्व हो गया, वही दखल स्वत्व कब्जा एवं अधिकार आज ता0 से आपको या आपके पुत्र पुत्रादीगण को प्राप्त हुआ।

Saumya Deo